



बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या ०४ ६ माघ १९४३ (श०)
पटना, बुधवार, —————
२६ जनवरी २०२२ (ई०)

विषय-सूची	पृष्ठ	पृष्ठ
भाग-१-नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	२-४	
भाग-१-क-स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---	
भाग-१-ख-मैट्रीकुलेशन, आई०ए०, आई०एससी०, बी०ए०, बी०एससी०, एम०ए०, एम०एससी०, लॉ भाग-१ और २, एम०बी०बी०एस०, बी०एस०ई०, डीप०-इन-एड०, एम०एस० और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---	
भाग-१-ग-शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---	
भाग-२-बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	---	
भाग-३-भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---	
भाग-४-बिहार अधिनियम	---	
भाग-५-बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---	
भाग-७-संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।	---	
भाग-८-भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---	
भाग-९-विज्ञापन	---	
भाग-९-क-वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---	
भाग-९-ख-निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	५-५	
पुरक	---	
पुरक-क	६-६	

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।

ग्रामीण विकास विभाग

अधिसूचनाएं

11 जनवरी 2022

सं० ग्रा०वि०-14 (सा०)सि०-08/2020-702410--श्री दीपक कुमार सिंह, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी-सह-प्रभारी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, हुसैनगंज, सिवान सम्प्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी, परसा (सारण) के विरुद्ध प्रभारी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, हुसैनगंज (सिवान) के पद पर रहते हुये मई, 2019 में टी०एच०आर०/एच०सी०एम० वितरण नहीं करने के आरोप में समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-2376 दिनांक-22.06.2021 द्वारा आरोप पत्र प्राप्त है।

समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्रतिवेदित आरोप पर श्री सिंह का स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया जिसमें उनके द्वारा स्पष्ट किया गया है कि सी०एफ०एम०एस० सॉफ्टवेयर पर कार्य करने हेतु मेकर-चेकर एवं एप्रुभर को कोई विस्तृत प्रशिक्षण नहीं दिया गया था। आई०सी०डी०एस० निदेशालय द्वारा विलंब से आवंटन उपलब्ध कराने एवं उसकी जानकारी किसी भी स्तर से नहीं दिये जाने के कारण कोषागार से निकासी विलंब से हो पाया।

समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रतिवेदित आरोप एवं आरोपी पदाधिकारी के स्पष्टीकरण की समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री सिंह के द्वारा टी०एच०आर०/एच०सी०एम० वितरण में लापरवाही बरती गयी है। इनका स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

अतएव सम्यक विचारोपरांत श्री दीपक कुमार सिंह, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी-सह-प्रभारी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, हुसैनगंज, सिवान सम्प्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी, परसा (सारण) द्वारा कर्तव्य में बरती गई उक्त लापरवाही एवं पदीय दायित्वों के निर्वहन में चूक के लिए इन्हें 'असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक' का दंड अधिरोपित किया जाता है।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बालामुरूगन डी०, सचिव।

11 जनवरी 2022

सं० ग्रा०वि०-14 (सा०)सि०-09/2020-702423--श्री दीपक कुमार सिंह, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी-सह-प्रभारी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, हसनपुरा, सिवान सम्प्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी, परसा (सारण) के विरुद्ध प्रभारी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, हसनपुरा (सिवान) के पद पर रहते हुये मई, 2019 में टी०एच०आर०/एच०सी०एम० वितरण नहीं करने के आरोप में समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-2377 दिनांक-22.06.2021 द्वारा आरोप पत्र प्राप्त है।

समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्रतिवेदित आरोप पर श्री सिंह का स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया जिसमें उनके द्वारा स्पष्ट किया गया है कि सी०एफ०एम०एस० सॉफ्टवेयर पर कार्य करने हेतु मेकर-चेकर एवं एप्रुभर को कोई विस्तृत प्रशिक्षण नहीं दिया गया था। आई०सी०डी०एस० निदेशालय द्वारा विलंब से आवंटन उपलब्ध कराने एवं उसकी जानकारी किसी भी स्तर से नहीं दिये जाने के कारण कोषागार से निकासी विलंब से हो पाया।

समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रतिवेदित आरोप एवं आरोपी पदाधिकारी के स्पष्टीकरण की समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री सिंह के द्वारा टी०एच०आर०/एच०सी०एम० वितरण में लापरवाही बरती गयी है। इनका स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

अतएव सम्यक विचारोपरांत श्री दीपक कुमार सिंह, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी-सह-प्रभारी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, हसनपुरा, सिवान सम्प्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी, परसा (सारण) द्वारा कर्तव्य

में बरती गई उक्त लापरवाही एवं पदीय दायित्वों के निर्वहन में चूक के लिए इन्हें 'असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक' का दंड अधिरोपित किया जाता है।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बालामुरूगन डी०, सचिव।

11 जनवरी 2022

सं० ग्रा०वि०-14 (सा०)सि०- 01/2021-702394--श्री सत्येन्द्र सिंह, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, बसन्तपुर, सिवान, सम्प्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी, कृत्यानंदनगर, पूर्णियां के विरूद्ध पंचायती राज विभाग की मार्गदर्शिका के विपरीत आवास का जीर्णोद्धार एवं चाहरदिवारी का कार्य करवाकर बिहार वित्त नियमावली के उल्लंघन करने के आरोप पर जिला पदाधिकारी, सिवान के पत्रांक-589 दिनांक 04.06.2021 द्वारा आरोप पत्र प्राप्त है।

उक्त प्रतिवेदित आरोपों पर श्री सिंह से स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया।

श्री सिंह के विरूद्ध जिला पदाधिकारी से प्रतिवेदित आरोप एवं स्पष्टीकरण की समीक्षा विभाग द्वारा की गयी। समीक्षोपरांत यह पाया गया कि श्री सिंह के द्वारा अपने पदस्थापन अवधि में 13वीं वित्त की राशि से पंचायती राज विभाग की मार्गदर्शिका के विरूद्ध स्वयं की सुविधा के लिये प्रखंड विकास पदाधिकारी, बसन्तपुर के आवास का जीर्णोद्धार कराया गया है जो नियमानुकूल नहीं है। इनका स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं है।

अतः सम्यक विचारोपरांत श्री सत्येन्द्र सिंह, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, बसन्तपुर, सिवान, सम्प्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी, कृत्यानंदनगर, पूर्णियां को बिहार वित्त नियमावली का उल्लंघन करने एवं सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम 3(1) का उल्लंघन करने के कृत्य के लिए असंचयात्मक प्रभाव से 'एक वेतन वृद्धि अवरूद्ध करने का दंड' अधिरोपित किया जाता है।

आदेश दिया जाता है कि श्री सत्येन्द्र सिंह की चारित्रि पुस्तिका में इस दंड की प्रविष्टि की जाय।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बालामुरूगन डी०, सचिव।

परिवहन विभाग

अधिसूचना

24 जनवरी 2022

सं० 05/स्था० (DTO)-30/2013 (खण्ड-II)-472--श्री सुशील कुमार, (बि०प्र०से०), जिला परिवहन पदाधिकारी, मधुबनी (अतिरिक्त प्रभार जिला परिवहन पदाधिकारी, सुपौल) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक जिला परिवहन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० 05/स्था० (DTO)-30/2013 (खण्ड-II)-473--श्री राजेश कुमार सिंह, (बि०प्र०से०), जिला परिवहन पदाधिकारी, बेतिया को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक जिला परिवहन पदाधिकारी, बेगूसराय के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० 05/स्था० (DTO)-30/2013 (खण्ड-II)-474--श्री शशि शेखरम्, जिला परिवहन पदाधिकारी, सहरसा (अतिरिक्त प्रभार जिला परिवहन पदाधिकारी, मधेपुरा) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक जिला परिवहन पदाधिकारी, मधुबनी के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
शैलेन्द्र नाथ, उप-सचिव।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

अधिसूचना

21 जनवरी 2022

सं० भा०व०से०(आ०)-03/2019(खंड) 146/प०व०ज०प०--पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-111 दिनांक-11.01.2021 द्वारा श्री रविशंकर कुमार, भा०व०से० (1995) तत्कालीन क्षेत्रीय मुख्य

वन संरक्षक, मुजफ्फरपुर को अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम-3(1) (a) के अंतर्गत निलंबित किया गया एवं अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 (संशोधित, 2015) के नियम-3(8)(क) के तहत समय-समय पर इनके निलंबन अवधि को दिनांक-30.01.2022 तक विस्तारित किया गया है।

श्री रविशंकर कुमार, भा०व०से० दिनांक-31.01.2022 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरांत श्री रविशंकर कुमार, भा०व०से० (1995) को उनके वार्षिक्य सेवानिवृत्ति के दृष्टिपथ में दिनांक-31.01.2022 (पूर्वाह्न) के प्रभाव से निलंबन से मुक्त किया जाता है। इनके निलंबन अवधि के संबंध में, इनके विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही के फलाफल के उपरांत संसूचित किया जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुबोध कुमार चौधरी, संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 41—571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

भाग-9-ख

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण
सूचनाएं इत्यादि।

सूचना

No. 58—I, RAMA Shankar Pandey R/o H.No. 105, Gandhi Nagar Boring Rd. Patna have changed my daughter name from Charu to Charu Pandey vide affidavit no. 13293 dated 16.08.2021.

RAMA Shankar Pandey.

No. 59— I, Shazia Ehsan, W/o Dr. Amir Ehsan, R/o Khan Mirza, P.S.-Sultanganj, P.O.-Mahendru, Dist.-Patna -800006, Bihar, declare vide affidavit number-18004/16.12.21 that Areeb Ehsan is my son, in whose 10th marks statement cum certificate issued by CBSE, my name has been wrongly written as Shazia Iqbal, whereas the correct name is Shazia Ehsan. For all future purposes I shall be known as Shazia Ehsan.

Shazia Ehsan.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 41—571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

बिहार गजट

का

पूरक (अ०)

प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

सं० कारा/नि०को०(अधी०)—०१—४६/२०२१—५९१
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय
गृह विभाग (कारा)

संकल्प

24 जनवरी 2022

श्री रामाधार सिंह, अधीक्षक, मंडल कारा, छपरा के विरुद्ध प्रत्यानुपातिक धनार्जन के आरोप में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत दर्ज किये गये थाना कांड संख्या-55/2021 दिनांक-23.12.2021 धारा-13 (2) सह-पठित धारा-13 (1) (बी) तथा भ्रष्ट आचारण, पद के दुरुपयोग एवं सरकारी सेवक आचार नियमावली के घोर उल्लंघन के आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-9 (1) (क) एवं (ग) के आलोक में अनुशासनिक कार्यवाही चलाये जाने तथा सक्षम प्राधिकार द्वारा यह समाधान होने, कि लोकहित में सरकारी सेवक को निलंबित करना समीचीन है, के आलोक में श्री रामाधार सिंह, अधीक्षक, मंडल कारा, छपरा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

2. निलंबनावस्था में इनका मुख्यालय केन्द्रीय कारा, पूर्णियाँ निर्धारित किया जाता है।

3. श्री सिंह के विरुद्ध प्रपत्र 'क' में आरोप पत्र गठित कर विभागीय कार्यवाही संचालित करने की कार्यवाई अलग से की जायेगी।

4. श्री सिंह को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-10 के विहित प्रावधानों के अन्तर्गत निलंबनावस्था में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता संलग्न कारा से देय होगा।

5. उपरोक्त पर माननीय मुख्य (गृह) मंत्री महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
रजनीश कुमार सिंह, संयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्र०)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 41—571+10—डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>